अत्यंत महत्वपूर्ण
विशेष पत्र वाहक द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(01)/ता.~~अता~~. प्र.01/चतुर्थ सत्र (चतुर्थ–भाग) 2023/दिविस/श.वि./4891-92 दिनांक: 19/12/2023

सेवा में,

1. उप सचिव (प्रश्न शाखा)
   दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
   पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 ~~अतारांकित~~ / तारांकित प्र0 सं. 01 मान्नीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया/ महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉं माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कृपया प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली (प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित) दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री दुर्गेश पाठक

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या : 01

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि विधायक निधि की वर्तमान राशि केवल चार करोड़ रुपए है, जो क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु अपर्याप्त सिद्ध होती है;	**एमएलएलैडः–** जी हॉ, विधायक निधि अभी तक रुपये 4 करोड़ थी जिसे अब बढ़ाकर रुपये 7 करोड कर दिया गया है ।
ख	क्या इस राशि को दस करोड़ रूपये तक बढ़ाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और	**एमएलएलैडः–** विधायक निधि फंड को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।
ग	क्या यह कहना सत्य नहीं होगा कि ऐसा करने से निधियों का विकेंद्रीकरण संभव हो सकेगा और सरकारी कार्यों को गति मिलेगी?	**एमएलएलैड** :–इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

पूरक सूचना :- तारांकित प्रश्न संख्या ०१ माननीय विधायक श्री दुर्गेश पाठक

दिल्ली सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर एक योजना तैयार की थी। यह योजना वर्ष 1994-95 में प्रारंभ की गई, जब योजना के तहत निधि प्रति विधायक प्रति वर्ष 1.00 करोड़ रुपये थी । सरकार ने कुछ अनुभव हासिल करने के बाद योजना को संशोधित करने और निधि को वर्ष 1999-2000 से प्रति विधायक 1.40 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया । वित्तीय वर्ष 2000-01 से 1.40 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1.90 करोड़ रुपये कर दिया गया । 2004-05 से 2.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और 2011-12 से बढ़ाकर सीमा को 4 करोड़ रुपये कर दिया गया ।

कैबिनेट निर्णय क्रमांक 2623 दिनांक 07.08.2018 के अनुसरण में सीमा को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया था । कोविड के कारण वर्ष 2020-21 में कोई फंड जारी नहीं किया गया और 2021-22 में फंड 10 करोड़ रुपये से घटाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया ।

आदेश क्रमांक 384-407 दिनांक 07.12.2023 के अनुसार 2023-24 वर्ष के लिए निधि को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।